

FORM - III
फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी [राजस्व], श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर
कुमारी नमनदीप कौर बनाम मनजीत सिंह आदि
अन्तर्गत धारा 212 आरटीए नम्बर 72 सन् 2023
जी.सी.एम.एस. नम्बर

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

नम्बर व तारीख
अहकाम जो इस
हुक्म की तामील
में जारी हुए

प्राथी कुमारी नमनदीप कौर पुत्री मनजीत सिंह जरिए माता कुलवन्त कौर पत्नी मनजीत सिंह जाति रायसिख निवासी चक 13 एच तहसील श्रीकरणपुर की ओर से अधिवक्ता श्री रमेश चन्द्र गुप्ता ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आरटीए पेश किया। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जावे। अप्रार्थीगण को जरिए नोटिस तलब किया जाकर पत्रावली दिनांक 21.08.2023 को पेश हो।

b

प्राथी अधिवक्ता उपस्थित। अप्रार्थी स. 2 की तलवी के सम्पन्न बाद तामील प्राप्त। अप्रार्थी स. 1 की तलवी प्राप्त नहीं। पत्रावली वास्ते इतजार तलवी दिनांक 25/09/23 को पेश हो।

d

दिनांक 25/09/23 को अवकाश होने पर पत्रावली आय पेशी में ली गई। प्रतिवादी स. 1 की तलवी के नोटिस बाद तामील प्राप्त। अप्रार्थी स. 1 व 2 को एक-एकर उधार आवाज लगावाई गई कोई उपस्थित नहीं आया। अप्रार्थी स. 1 व 2 के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही के आदेश दिए जाते हैं। प्राथीगण की एकपक्षीय बहस सुनी गई व पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्राथी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात के अनुसार ग्राम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन, अपूरणीय क्षति प्राथी के पक्ष में बनना पाए जाते हैं अतः अप्रार्थीगण चक 1 एस के खाता संख्या 5/12 के मु. न. 8, 35, 50, 53, 64 व चक 13 एच के खाता संख्या 7/6 के मु. न. 22, दोनों पको की कुल 7.263 है। प्राथी की मीका व राजस्व रिकॉर्ड की भयास्थिति प्रलवाप के निगम तक बनाए रखे। पत्रावली विनियम होकर नम्बर से मय होकर प्रलवाप के साथ सलग्न हो।

b

तामिल हुकम

07.2023

8/23

9/23

श्रीगंगानगर जिला